**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1243 का उत्तर**

**रेलवे द्वारा सामाजिक सब्सिडी को समाप्त किया जाना**

**1243. श्री कपिल सिब्बलः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे 30,000 करोड़ रुपए की सामाजिक सब्सिडी समाप्त करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे ने इस संबंध में सर्वेक्षण करवाने के लिए दो वित्तीय संस्थानों को नियुक्त किया है और यदि हां, तो इन संस्थानों के ब्यौरे सहित उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट और लागत कितनी है; और

(ग) क्या इस संबंध में बैठकें आयोजित की गई हैं और यदि हां, तो आज की तारीख तक आयोजित प्रत्येक बैठक के ब्यौरे तथा बैठकों के कार्यवृत्त क्या हैं?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे द्वारा सामाजिक सब्सिडी को समाप्त किए जाने के संबंध में 27.07.2018 को राज्‍य सभा में श्री कपिल सिब्बल के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1243 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): यात्री और माल यातायात क्षेत्र में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। बहरहाल, भारतीय रेल द्वारा कतिपय परिवहन गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं, जो अलाभप्रद प्रकृति की होती हैं और जिन्हें देश के समग्र हित में निष्पादित किया जाता है। परंपरागत रूप से, भारतीय रेल की दर सूची नीति में यात्री किरायों में वृद्धि न करने की प्रथा रही है। विभिन्न किस्म की अलाभप्रद सेवाओं के जरिए भारतीय रेल को प्रति वर्ष हानि उठानी पड़ती है। ये हानियां अधिकांशतः (i) साधारण द्वितीय श्रेणी के कम किराए (ii) कम मूल्य के उपनगरीय और गैर – उपनगरीय सीजन टिकट (iii) लागत से कम कीमत पर अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई और (iv) यात्री टिकट पर दी जाने वाली विभिन्न किस्म की रियायतों के कारण होती हैं। अलाभप्रद शाखा लाइनों के परिचालन से भी भारतीय रेल की वित्त व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ता है। इस प्रकार, इन सेवाओं की लागत और उनसे अर्जित होने वाली आमदनी के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है।

(ख): भारतीय रेल ने “भारतीय रेल द्वारा सामाजिक सेवा दायिता (एसएसओ) के मूल्य का आकलन करने के लिए तंत्र के विकास” का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को नियुक्त किया और 13.07.2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अध्ययन के लिए एनआईपीएफपी को 29,50,000/- (जीएसटी सहित) का भुगतान किया गया है।

(ग): एनआईपीएफपी ने 28.11.2017 को भारतीय रेल की सामाजिक सेवा दायिता के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*